

No. 4-81(22)Estate/2023-HR-II

Dated 26.08.2025

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

सेवा में,

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालयों के निदेशक/प्रमुख

Sub: Strict adherence of CSIR (Residence Allotment) Rules, 2022 (Rule 11.8) for retention staff quarters in transfer cases - reg.

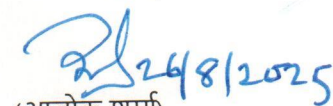
महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपका ध्यान सीएसआईआर के पत्र सं. 5-1(34)/2008-PD दिनांक 23.02.2023 कि ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें सीएसआईआर (आवास आबंटन) नियमावली, 2022 का नियम 11.8 निम्नानुसार उल्लिखित है:-

“इन नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद जब कोई कर्मचारी, उत्तर पूर्व या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में स्थिति प्रयोगशाला/केंद्र में स्थानांतरित किया जाता है और वह अपने कब्जे के आवास को बनाए रखने के लिए ऐसे स्थानांतरण के 2 माह के भीतर आवेदन करता है तो उसे वह आवास रखने दिया जा सकता है, बशर्ते कि उस संबंधित वर्ष के उस विशेष तारीख को मिलने वाली परिलब्धियों के आधार पर वह आवास उसके हकदारी प्रकार से निम्न हो। यदि उसके कब्जे में हकदारी प्रकार वाला आवास है तो उसके कब्जे के टाइप के आवास से एक टाइप निम्न वाला आवास आबंटित किया जाएगा। ऐसे कब्जे/आबंटन के लिए लाइसेंस फीस आवास बनाए रखने की अनुमति वाली अवधि से आगे की अवधि के लिए सामान्य लाइसेंस फीस ली जाएगी।”

उपरोक्त नियम के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया कि नियम 11.8 का पालन करने में कई प्रयोगशालाएँ/संस्थान लापरवाही कर रहे हैं। इस बात को सक्षम प्राधिकारी ने बड़ी ही गम्भीरता से लिया है और यह Advisory जारी करने का निदेश दिया है कि समस्त प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी अपने संस्थान में अनिवार्य रूप से CSIR (Residence Allotment) Rules, 2022 के Rule 11.8 का पूर्ण रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(आलोक शर्मा)
उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
2. वरिष्ठ उप सचिव (पी.डी.), सीएसआईआर मुख्यालय
3. हेड आई.टी.-सीएसआईआर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।